मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम
प्रशासन अनुभाग
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

क्रमांक   /स्था/प्रशा/पविनि/2013   भोपाल, दिनांक   /08/2013

आदेश

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11–12/2010/नियम/चार दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय यात्रा भत्ता की दरों एवं देय भत्तों की संरचनाओं को पुनरीक्षित किया गया है। संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 29/7/2013 के एजेण्डा आयटम क्रमांक 4 में उक्त यात्रा भत्ते/देय भत्तों को लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदनुसार संचालक मण्डल द्वारा दिये गये अनुमोदन अनुसार राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों के समान संशोधित यात्रा भत्तो/देय भत्तों की दरें निगम अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नानुसार लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(1) कर्मचारियों/अधिकारियों का वर्गीकरण – मासिक वेतन के आधार पर है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार अब मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन के आधार पर शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ता के समस्त प्रयोंजनों हेतु निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :–

श्रेणी	ग्रेड वेतन
(1)	(2)
ए	रूपये 7600 एवं अधिक
बी	रूपये 6600 एवं अधिक पर रूपये. 7600 से कम
सी	रूपये 4200 एवं अधिक पर रूपये 6600 से कम
डी	रूपये 2400 एवं अधिक पर रूपये 4200 से कम
ई	रूपये 2400 से कम

(2) <u>दैनिक भत्ता :–</u> राज्य वेतन आयोग के द्वारा मुख्यालय भत्ता तथा विशेष विराम भत्ते को समेकित कर दैनिक भत्ते की दरें निर्धारित की गई है । तदानुसार समेकित दैनिक भत्ते की दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों तथा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों (कालम 4 में दर्शाये स्थानों को छोड़कर) के लिये विशेष दर	दिल्ली,मुम्बई,कोलकाता,चेन्नई बंगलौर,हैदराबाद,अहमदाबाद, कानपुर एवं पूणे के लिये दर
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	200	300	400
बी	160	240	320
सी	120	180	240
डी	100	150	200
ई	70	105	140

(3) यात्रा के साधन :– राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार ग्रेड वेतन के आधार पर निम्नानुसार लोक वाहक के साधनों से यात्रा करने हेतु श्रेणी निर्धारित की जाती हैः–

क.	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	इकानॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी
ई	नहीं	केवल स्लीपर तथा गैर वातानुकूलित कुर्सीयान	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

राज्य के भीतर प्रमुख नगरों के लिये सस्ती वायुसेवा के प्रोत्साहन हेतु जारी वित्त विभाग के निर्देश कमांक एफ 4–5/2011/नियम/चार, दिनांक 27.8.11 के अनुसार ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 6600 या अधिक है,ऐसी सस्ती वायु सेवा (राज्य के भीतर) के पात्र होगे । इसके साथ ही वित्त विभाग के पूर्व निर्देशों के अनुसार माननीय मंत्रीगणों, मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव के समकक्ष वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को हवाई जहाज की एक्जिक्यूटिव क्लास/बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा की पात्रता होगी।

(4) <u>ठहरने की पात्रता</u> :– आयोग की अनुशंसा अनुसार यात्रा के दौरान ठहरने की सुविधा को पुनरीक्षित करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी अनुसार निम्नानुसार दर निर्धारित की जाती हैः–

णी	प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के बाहर/महानगर में मित्र/रिश्तेदार के यहां ठहरने पर
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	3000	2000	400
बी	2250	1500	350
सी	1500	1000	300
डी	750	500	250
ई	375	250	200

(5) स्थानान्तरण पर घरेलू सामान का परिवहन :– राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार शासकीय सेवक के स्थानान्तरण पर निजी सामान की ढुलाई के लिये ग्रेड वेतन के अनुसार श्रेणीकरण के आधार पर निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती है:–

कमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्वीकृत दर रूपये प्रति किलोमीटर
(1)	(2)	(3)
1	"ए" एवं "बी"	18
2	"सी" एवं "डी"	09
3	"ई"	06

(6)स्थानान्तरण अनुदान:–शासकीय सेवकों का एक मुख्यालय से अन्य मुख्यालय पर जनहित में स्थानान्तरण होने पर घरेलु सामान को बांधने, खोलने, ट्रक में चढ़ाने एवं उतारने के लिये एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

कमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	पुनरीक्षित दर
(1)	(2)	(3)
1	ए	3000
2	बी	2400
3	सी	1800
4	डी	1200
5	ई	900

उपरोक्त दरें लागू किये जाने के संबंध में ज्ञाप में यह उल्लेख किया गया है कि यह आदेश दिनांक 1/8/2012 या उसके पश्चात की गई यात्राओं पर लागू होगा। जिन प्रकरणों में अंतिम भुगतान किया जा चुका है, वह पुनः नहीं खोले जा सकेगें।

संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित।

कार्यपालिक निदेशक

पृ. क्रमांक 7773/स्था/प्रशा/पविनि/2013 — भोपाल, दिनांक 14/08/2013

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, निगम मुख्यालय भोपाल।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम ....।
3. महाप्रबंधक (वित्त) निगम मुख्यालय भोपाल।
4. समस्त मार्केटिंग कार्यालय/इकाई प्रभारी, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम ....।

कार्यपालिक निदेशक